प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे प्रकट तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, चितलवाना, जिला जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन मे निर्णय नजीर– आर.आर.टी 2014 (1) पेज 196, आर. आर.टी 2014(1) पेज 201 पेश की है।

प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण रेकर्ड के अभाव मे प्रथम दृष्टया वास्तविक स्थति स्पष्ट प्रतीत नही होती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे किसी प्रकार का स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो कर नम्बर से कम हो।